भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 201

उत्तर देने की तारीख 01 दिसंबर, 2025

सोमवार, 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजनाएँ

201. श्री नारायणदास अहिरवारः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं के तहत अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षण और रोज़गार या स्व-रोज़गार के मौके दिए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के प्रभाव, परिणाम और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और उद्योग से संबंधित कौशल से सुसज्जित करने में सक्षम बनाना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

योजनाएं	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या
पीएमकेवीवाई (इसकी स्थापना से 31.10.2025 तक)	1,64,33,033
जेएसएस (2018-19 से 31.10.2025 तक)	32,53,239
एनएपीएस (2021-22 से 31.10.2025 तक नियोजित प्रशिक्षु)	39,58,151
सीटीएस (2014-15 से 2024-25 सत्र तक नामांकित उम्मीदवार)	1,37,44,062

इसके अलावा, एमएसडीई की योजनाओं में, प्लेसमेंट को विशेष रूप से केवल पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक (एसटीटी) घटक में पहले तीन संस्करणों यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में ट्रैक किया गया था, जो वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया था। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया था और वे इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त थे। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी टूल्स भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

(ग): कौशल विकास के लिए योजनाओं के प्रभाव का आकलन उनके तीसरे पक्ष के स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। एमएसडीई की योजनाओं के मूल्यांकन ने उनके सकारात्मक परिणाम को स्वीकार किया है और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में उनकी सफलता का उल्लेख किया है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई: एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन अक्टूबर 2020 में नीति आयोग द्वारा किया गया था और अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, 52 प्रतिशत उम्मीदवार जिन्हें पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखा गया था और आरपीएल घटक के तहत अभिविन्यस्त किया गया था, उन्हें उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

जेएसएस: वर्ष 2020 में आयोजित जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण से महिलाओं (79%) और ग्रामीण समुदायों (50.5%) की मजबूत भागीदारी के साथ लाभार्थियों की घरेलू आय लगभग दोगुनी हो गई। अध्ययन में महत्वपूर्ण आजीविका सुधारों की सूचना दी गई, जिसमें 73.4% प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर रोजगार, 89.1% के लिए उच्च आय और 85.7% के लिए प्रभावी लाभार्थी जुटाना शामिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि 77% प्रशिक्षुओं को नए व्यवसायों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप स्व-रोज़गार पर योजना के मजबूत मुद्दे को दर्शाता है।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल 63.5% आईटीआई पास-आउट को रोजगार मिला (वेतन+स्व, जिनमें से 6.7% स्व- नियोजित हैं)।

एनएपीएस: वर्ष 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके और उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाकर युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार किया। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

*****